

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील  
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 410 / 15  
संस्थापित दिनांक- 04.12.15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

श्यामलाल पुत्र तोरन अहिरवार उम्र 40 साल  
निवासीगण- ग्राम गोराकला तहसील चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

(आज दिनांक 16.02.17 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-294, 324, 323, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक-07.10.15 को 08.00 बजे ग्राम गोराकला चंदेरी में लोक स्थान पर फरियादी पिस्ताबाई को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित कर फरियादी पिस्ताबाई एवं लच्छू के साथ मारपीट कर पिस्ताबाई को लात व गुंसों से एवं लच्छू को दांतों से काटकर स्वच्छैया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-07.10.15 को रात्रि 08.00 बजे फरियादिया पिस्ताबाई मजदूरी करके घर आई तो अभियुक्त जो कि उसका पति है बोला कि पानी दे, फरियादिया ने पानी दे दिया, तो अभियुक्त ने खाना मांगा जिस पर फरियादिया ने कहा कि खाना बना रही हू, तो इस पर अभियुक्त मां बहन की गालियां देने लगा और लात घूसों से मारपीट कर और बाल पकड़ कर घर के बाहर लाकर मारपीट करने लगा। फरियादिया की सास ने बीच वचाव करने के लिये रास्ते जा रहे लच्छू व सुम्मा को आवाज दी। जिन्होंने आकर बीच-बचाव किया तो अभियुक्त ने

लच्छू को दांतों से उसके होंठों पर काट लिया। घटना के बाद फरियादियां ने अपनी सास फूलाबाई, लच्छू व देवर केरन के साथ जब थाने आ रही थी तो अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

04— फरियादी पिस्ताबाई अ०सा०—1 ने पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—412/15 अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 506 भा०द०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—16.02.17 को फरियादी पिस्ताबाई व आहत लच्छू के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द०प्र०स० के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा—294, 323, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा०द०वि० की धारा—324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

05— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ़ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द०प्र०स० में कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या दिनांक 07.10.15 को रात्रि 08.00 बजे अभियुक्त ने आहत लच्छू को दांतों से उसके होंठ में काटकर स्वच्छेया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष—:

07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण में फरियादी पिस्ताबाई अ०सा०—1 सहित लच्छू अ०सा०—2, केरन अ०सा०—3 व फूलाबाई अ०सा०—4 के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी पिस्ताबाई अ०सा०—1 जो कि अभियुक्त की पत्नी है, का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि एक वर्ष पूर्व रात्रि 07.00—08.00 बजे जब वह घर पर खाना बना रही थी तो अभियुक्त शराब पीकर आया और उसे मां बहन की गालिया देने लगा। पिस्ताबाई अ०सा०—1 के अनुसार घटना में

- अभियुक्त से उसका मुंहवाद हुआ था जिसके बाद उसकी सास फूलाबाई ने उसे बचाया था और अपनी सास के साथ थाने पर जाकर प्र०पी०-1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिस पर उसने थाने पर अंगूठा निशानी किया था।
- 08— पिस्ताबाई अ०सा०-1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध घटना में अपने साथ कोई मारपीट अभियुक्त द्वारा न किया जाना बताया है तथा इस साक्षी का कहना है कि इस घटना में केवल मुंहवाद हुआ था उसे कोई चोट नहीं आई। इस साक्षी ने घटना में आहत लच्छू अ०सा०-2 के संबंध में भी अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं दिये।
- 09— पिस्ताबाई अ०सा०-1 के अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देने एवं अभियोजन कहानी के विपरीत कथन देने से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसमें भी इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया अभियुक्त ने उसके बाल पकड़ कर घर से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की थी तथा इस साक्षी ने इस बात का भी खण्डन किया की अभियुक्त ने उसे बचाने आये लच्छू रजक को होठों में काट खाया था व जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी पिस्ताबाई अ०सा०-1 का यह कहना है कि उसने पुलिस को स्वयं के साथ मारपीट की घटना एवं अभियुक्त द्वारा लच्छू को काटने की घटना की पुलिस को कोई रिपोर्ट न तो लेख कराई है न ही इस संबंध में कोई कथन दिये हैं।
- 10— आहत लच्छू अ०सा०-2 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं दिये। यह साक्षी जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं घटना में आहत है, ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि उसके सामने कोई लड़ाई झगडा नहीं हुआ न ही अभियुक्त का उससे कोई विवाद हुआ एवं न ही अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। इस साक्षी का कहना है कि फूलाबाई व उसकी बहू उसके घर अवश्य आई थी जिनके साथ वह थाने पर रिपोर्ट करने गया था। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार यह साक्षी मौके पर बीच बचाव करने पहुंचा था तो अभियुक्त ने उसे होठों में काट खाया था।
- 11— अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से इस साक्षी का भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया है, जिसमें इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि वह फूलाबाई के बुलाने पर बीच बचाव करने मौके पर गया था तथा इस बात का भी खण्डन किया कि बीच बचाव में अभियुक्त ने उसे होठों में काट लिया था। केरन अ०सा०-3 जो कि अभियोजन घटना के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है व अभियुक्त का भाई है। अपने सामने घटना होने से इंकार करता है वही फरियादियां पिस्ताबाई अ०सा०71 की सास फूलाबाई अ०सा०-4 अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौच करना व उनके मध्य बीच बचाव करना तो बताती है परंतु इस साक्षी का भी कही यह कहना नहीं है कि मौके पर लच्छू अ०सा०-2 ने बीच बचाव किया था और इसी बीच बचाव ने अभियुक्त ने लच्छू अ०सा०-2 के होठों में काटा था। फूलाबाई अ०सा०-4 अभियोजन कहानी के विपरीत लच्छू अ०सा०-2 के कथनों के सामान यह कहती है कि वह अपनी बहू के साथ लच्छू के घर पर गई थी। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर विस्तृत परीक्षण किया गया परंतु इस साक्षी ने भी आरोपित

अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिया बल्कि अभियोजन घटना के विपरीत इस साक्षी का कहना है कि लच्छू अ0सा0-2 मौके पर नहीं था।

- 12— अतः फरियादिया पिस्ताबाई अ0सा0-1 व फूलाबाई अ0सा0-4 अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं करती कि मौके पर अभियुक्त ने पिस्ताबाई अ0सा0-1 के साथ मारपीट की थी तथा यह दोनों ही साक्षी लच्छू अ0सा0-2 की घटना स्थल पर उपस्थिति तथा अभियुक्त के द्वारा लच्छू अ0सा0-2 के होठों पर काटने की घटना से ही इन्कार करती हैं। स्वयं आहत लच्छू अ0सा0-2 भी इन साक्षियों के कथनों के सामान अपने साथ अभियुक्त द्वारा कोई मारपीट न करना बताता है। बल्कि यह साक्षी स्वयं यह कहता है कि वह मौके पर बीच बचाव करने नहीं गया था। लच्छू अ0सा0 2 अपने कथनों में ही अपने होठों पर चोट होने की तो पुष्टि करता है परंतु इस साक्षी का कहना है कि उक्त चोट उसे पूर्व की थी। अतः लच्छू अ0सा0-2 के स्वयं के अनुसार एवं पिस्ताबाई अ0सा0-1 एवं फूलाबाई अ0सा0-4 के कथन अनुसार घटना में लच्छू अ0सा0-2 ने बीच बचाव नहीं किया था और न ही अभियुक्त ने लच्छू अ0सा0-2 के होठों पर काट कर उपहति कारित की थी। अतः अभिलेख पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 13— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक-07.10.15 को रात्रि 08.00 बजे अभियुक्त ने आहत लच्छू को दांतों से उसके होंठ में काटकर स्वच्छेया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त श्यामलाल पुत्र तोरन अहिरवार के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त श्यामलाल पुत्र तोरन अहिरवार को भा0दं0वि0 की धारा-324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्त श्यामलाल पुत्र तोरन अहिरवार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)